

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-300) अलेसे-I/ ११३

दिनांक:- 30/12/16

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी"
खैरथल (अलवर)।

विषय:- श्री सुन्दरलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का पदस्थापन अन्यत्र करने बाबत।

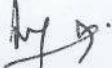
प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 2093 दिनांक 26.12.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 107/2016-17 दिनांक 10.10.2016 श्री सुन्दरलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को मण्डी समिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के पद पर पदस्थापित किया गया था, लेकिन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का पद स्वीकृत होने के बावजूद भी इन्हें कार्यमुक्त कर इस विभाग में उपस्थिति देने हेतु भिजवाया गया है। आपके द्वारा सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स श्री अमर सिंह दहीया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को संविदा के आधार पर पुर्ननियुक्त किया हुआ है, जबकि नियमानुसार नियमित कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाता है तो संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

अतः श्री सुन्दरलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को आपके कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु वापस लौटाया जा रहा है, इन्हें तुरंत कार्यग्रहण करावें एवं इस निदेशालय को सूचित करने का श्रम करें। यदि श्री सुन्दरलाल को कार्यग्रहण नहीं कराया गया तो भविष्य में आपके कार्यालय से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का पद समाप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए जावेगे।

भवदीय


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-300) अलेसे-I/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्री सुन्दरलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को पालनार्थ प्रदान कर निर्देश दिये जाते हैं कि आप सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" खैरथल (अलवर) में तुरन्त कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना इस निदेशालय को भिजवावें।

१)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)